

प्रधान

भृगुला,  
आगरा गण्डवा,  
आगरा

संघाम

सचिव,  
कन्दीय माध्यमिक शिक्षा परिषद  
शिक्षा कन्द-2 समुदाय केन्द्र  
प्रीति विहार, नई दिल्ली

पत्रोंक /एस0टी0 /एन0310सी0/

/2010-2011 दिनांक 07-09-11

विषय— राजीव इण्टरनेशनल स्कूल, मथुरा को सी0वी0एस0इ0, नई दिल्ली से सम्बद्धता डेतु  
अनापत्ति प्रमाण—पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राजाज्ञा संख्या 2762/15-13-91-4(46)/91 दिनांक 30 नवम्बर  
1991 एवं राजाज्ञा संख्या 1916(1)/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 के  
अनुपालन में राजीव इण्टरनेशनल स्कूल, मथुरा को सी0वी0 एस0 इ0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हो  
अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतीबन्धों के अधीन आपत्ति  
नहीं है—

- 1— विद्यालय की पंजीकृत रोसाइटी का समय—समय पर नवीनीकरण करवा जायेगा।
- 2— विद्यालय की प्रबन्ध समिति में साम्बन्धित जिते के जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य होगा।
- 3— विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जन जाति के भैयाबी बच्चों  
के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बोर्ड विकास  
परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित धूलि से ऊपरी  
शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4— संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यह पूरे में  
विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेटल  
वोर्ड ऑफ ऐकेप्टी एज्युकेशन नई दिल्ली/काउसिल फॉर दि इण्डियन रेक्टर बोर्डीफिल्ड  
एजामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होगी  
की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार  
से प्राप्त अनुदान स्वतं समाप्त हो जायेगे।
- 5— संस्था के शास्त्रीय एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त रिक्षण संस्थाओं  
के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनगार्नों तथा अन्य भूतों से कग वेतनमान तथा अन्य भूतों  
नहीं दिये जायेगे।
- 6— कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उत्थातर  
माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध करायें  
जायेंगे।
- 7— राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उन्होंने  
पालन करेगी।
- 8— विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

*Mansoor*  
PRINCIPAL  
Rajiv International School  
MATHURA

*Jyoti Singh*  
Chairman  
Rajiv International School  
Mathura (U.P.)

७— उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूरीनुगमन के बिना कोई परिवर्तन / संशोधन / परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के सिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय नहीं काया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अर्थात् पालन करने में किसी भी ग्रस्तार या घूक या शिथिलता वरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुपरिक्षण-पत्र वापर्स तो लिया जायेगा।

भवदीय

(अमृत आभेजाता)

आयुक्त

आगरा नगरपालिका

प०स०/एस०टी०/एन०आ०स०/ ८५३९०-५५

/2010-2011 तारिख

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित

- १— सचिव (मा०शि०) उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा (7) अनुभाग लखनऊ।
- २— शिक्षा निदेशक (मा०) उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- ३— जिलाधिकारी, मथुरा।
- ४— जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा।
- ५— निरीक्षक, आगंत भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- ६— प्रबन्धक, राजीव इंटरनेशनल स्कूल, मथुरा।
- ७— गाँड़ फाइल।

(अमृत आभेजाता)

आयुक्त

आगरा नगरपालिका

PRINCIPAL  
Rajiv International School  
MATHURA

YK/14/1.G-1  
Chairman  
Rajiv International School  
Mathura (U.P.)